



सीमाशुल्कप्रधानआयुक्तकाकार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS हवाईअड्डाऔरएयरकार्गोकॉप्लेक्सआयुक्तालय / AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE

एयरइंडियासाट्सएयरफ्रीटटर्मिनल, दूसरातल, देवनहल्ली, बेंगलूर

<u>AIR INDIA SATS AIR FREIGHT TERMINAL 2ND FLOOR: KIAP: DEVANAHALLI</u>

<u>BENGAL</u>URU- 560300.

लोक स्चना सं /PUBLIC NOTICE. NO.26/2020- दिनांक /DATED:11.05.2020 दस्तावेज पहचान सं /DIN: 20200572MP000000BD19.

विषय:देंगल्र एयर पोर्ट एवं एयर कार्गो आयुक्तालय के कोरियर टर्मिनल में निर्यातीत वस्तुओं की निकासी के लिए त्वरित कार्गो निकासी प्रणाली (ई सी सी एस) के कार्यान्वयन के संबंध में ।

Subject: - Implementation of Express Cargo Clearance System (ECCS) for the clearance of export goods at Courier Terminal of Bengaluru Airport & Air Cargo Commissionerate - Reg.

सभी व्यापार, प्राधिकृत कोरियर एवं संबंधित का ध्यान सीमा शुल्क अधिनियम 1962, यथा संशोधित, (अब से अधिनियम के रूप में बताया जाएगा)कोरियर आयात एवं निर्यात (इलेक्ट्रानक धोषणा एवं कार्यवाही) विनियमन, 2010, यथा संशोधित, एवं कोरियर आयात एवं निर्यात (निकासी) विनियमन 1998, यथा संशोधित, अधिनियम की धारा 157 के तहत केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा, दिनांक 5.5.2010 (एन.टी) की अधिसूचना सं 36/2010-Customs (NT), दिनांक 02.12.2016 के परिपत्र सं No.58/2016-IV, पहले की अधिसूचना, परिपत्रों एवं लोक सूचनाओं में नियत कार्यवाहियों की ओर आकर्षित किया जाता है। इस लोक सूचना में उपयोग किये गए शब्दों को वही अर्थ होगा जो अधिनियम एवं विनियमन में निर्दिष्ट किया गया।

Attention of the Trade, Authorized Couriers and all concerned is invited to the provisions of the Customs Act, 1962, as amended (herein after referred to as "the Act"), Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010, as amended, and Courier Imports and Exports (Clearance) Regulations, 1998, as amended, issued in exercise of the powers conferred by Section 157 of the Act, by the Central Board of Excise and Customs (CBEC) vide Notification no. 36/2010-Customs (NT) dated05.05.2010, CBEC Circular No.58/2016-IV dated 02.12.2016 and the procedures stipulated in earlier Notifications, Circulars, Public Notices etc. The words used in this Public Notice shall have the same meaning as assigned to them in the Act and the regulations.

2. कोरियर लदान बिल IV (CSB-IV) एवं कोरियर लदान बिल V (CSB-V) के निर्यातीत गैर दसतवेजों को त्वरित कार्गों निकासी प्रणाली(ई सी सी एस) के अधीन व्यवहार किया जा सकता है। एक बार प्रेषित माल के विवरण (स्कैन किये गए दस्तावेजों सहित) सिस्टम में इंदराज किये जाने पर, उसको सभी फणधारी यानी कोरियर कंपनियों, सीमा शुल्क एवं संररक्षकों द्वारा ई सी.सी.एस में दिये गए अभिगम नियंत्रण के अनुसार उपलब्ध होगा।

Export of non-documents under Courier Shipping Bill - IV (CSB-IV) and Courier Shipping Bill - V (CSB-V) shall be handled in the Express Cargo Clearance System (ECCS). Once consignment details (including scanned documents) are entered into the system, it shall be accessible to all stakeholders i.e. Courier Companies, Customs and Custodian as per access control defined in the ECCS.

- 3. आर.एम.एस कार्यकलाप एक साथ सी.एस.बी IV एवं सी.एस.बी V. के लिए शुरु की जाएगी । RMS functionality will be introduced simultaneously for both CSB-IV and CSB-V.
- 4. ई.सी.सी.एस वेब आधारित अनुप्रयोग होने के कारण ,कोरियर निर्यात बीझक, (सी.ई.एम)
 /सी.एस.बी को कोरियर कंपनी/ निर्यातकर्ता के कार्यालयों में स्थित प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा
 अपलोड/दायर किया जा सकता है।

As the ECCS is a web-based application, the Courier Export Manifest (CEM)/ CSB can be uploaded/filed from the offices of Courier Companies/ Importers through the Internet by authorized users.

5. निर्यात के लिए कार्यवाही, कोरियर आयात एवं निर्यात (इलेक्ट्रानक धोषणा एवं कार्यवाही) विनियमन, 2010, यथा संशोधित, एवं कोरियर आयात एवं निर्यात (निकासी) विनियमन 1998 ,यथा संशोधित, और समय समय पर अधिसूचित किये जानेवाले अधिनियम के प्रावधंान, अधिसूचना परिपत्र लोक सूचनाओं निर्धारित है।

The procedure for Export is prescribed under Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010 as amended, Courier Imports and Exports (Clearance) Regulations, 1998, as amended, and other relevant provisions of the Act and Notifications, Circulars, Public Notices etc as notified from time to time.

6. निर्यात किये जानेवाले वस्तुओं की निकासी संबंधी कार्यवाही/ PROCEDURE FOR CLEARANCE OF EXPORT GOODS:

6.1 वस्तुओं का पैकेजिंग/ Packaging of goods: निर्यात किये जानेवाले वस्तुओं को अलग रूप से पहचान योग्य कोरयर कंपनी बैग में, उचित लैबिल सहित निम्न संवर्ग में पैक करना होगा

Export goods shall be packed separately in identifiable courier company bags, with appropriate labels, in the following category:

- (a) दस्तावेज/Documents;
- (b) नमूना एवं मुफत उपहार/Samples and free gifts;
- (c) वाणिज्य वस्तु/Commercial goods.

प्रत्येक पैकेज , पैकेज में निहित वस्तुओं एवं मूल्य के संबंध में प्रेषक की घोषणा सहित हो

Each package shall bear declaration from the sender regarding the contents of package and the value thereof.

- 6.2 कोरियर लदान बिल (सी.एस.बी) का दायर/ Filing of Courier Shipping Bill (CSB):
- 6.2.1 प्राधिकृत कोरियर द्वारा निम्निलिखित दो लदान बिल वस्तुओं के निर्यात के लिए दायर किया जाए :For export of goods, the following two shipping bills shall be filed by the Authorized Courier:
 - (a) सी.एस.बीIV /CSB-IV (उपहार, नम्ना, प्रोटोटाईप वस्तु) एवं for gifts, samples and prototype of goods) and
 - (b) सी.एस.बीV /CSB-V (वाणिज्य लदान), विदेश व्यापार नीति (2015-20) के परिशिष्ठ में अधिसूचित वस्तुएं, भारत से व्यापारिक निर्यात योजना (एम.ई.आई.एस) के तहत किये जानेवाले निर्यात या कोई भी वाणिज्य वस्तुएं, विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित व्यवहार।

(for commercial shipments), for goods notified in Appendix 3C of the Foreign Trade Policy (2015-20), to be exported under the Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) or any other commercial goods, involving transfer of foreign exchange. (c) इस लोक सूचना के साथ सी.एस.बीIV एवं सी.एस.बीV का प्रपत्र संलग्नित है ।

The format of CSB-IV and CSB-V are annexed to this public notice.

6.2.2 नीचे पैरा 6.5 में दिये गए कार्यवाही के अनुसार ,प्राधिकृत कोरियर या उसके ऐजेंट , निर्यात किये जानेवाले वस्तुओं के लिए एक बीजक , निर्यात के पहले उचित अधिकारी के समक्ष कोरियर निर्यात बीजक (सी.ई.एम) कोरियर निर्यात एवं आयात (इलेक्ट्रानिक धोषण एवं कार्यवाही)विनियमन 2010 में दिये गए अनुसार ईलेक्ट्रानिक प्रपत्र में दायर कर सकते है ।

The Authorized Courier or his agent shall file in an electronic form, a manifest for export goods, before its export with the proper officer in Courier Export Manifest(CEM) of the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010, as per procedure described in para 6.5 below.

6.2.3 एक फलाईट में लदान करने के लिए सीमा शुल्क परिसर में लाये गए किसी भी प्रकार के पैकेज को कोई भी व्यक्ति उचित अधिकारी के अनुमित के बिना खोल नहीं सकते हैं।

No person shall, except with the permission of proper officer, open any package of export goods brought into the Customs area, to be loaded on a flight.

6.3 आगमन स्कैन/ Arrival Scan: संरक्षक द्वारा निर्यात बे के द्वारा पर निर्यात कियि जानेवाले वस्तु की प्राप्ति के सबूत के रूप आगमन स्कैन किया जाता है । सरक्षक द्वारा लदाई का वजन किया जाता है और उनका विवरण प्रविष्टी की जाती है ।

Arrival scan is conducted by the custodian at the gate of the export bay evidencing receipt of the export goods. The custodian weighs the shipments and keys in details of the shipment.

6.4 एक्सरे स्कैन एवं वास्तविक परीक्षण / X-Ray Scan and Physical Examination: सी.एस.बी। एवं सी.एस.बी के तहत निर्यात के पहले , सभी निर्यात प्रेषण का एक्सरे स्क्रीनिंग किया जाता है । वास्तविक परीक्षण के लिए चयन नहीं करने पर, निरीक्षक द्वारा लदाई में कोई

सदेहात्मक वस्तु नहीं पाने पर एक्सरे स्क्रीनिंग से ही निकासी की जाएगी । वास्तविक परीक्षण के लिये चयन किये गए लदायी एवं एक्सरे सक्रीनिंग में संदेहात्मक पाये जाने पर उसको वास्तविक परीक्षण के लिए भेजा जाता है । परीक्षण के बाद परीक्षक परीक्षण रिपोर्ट को इंदराज करके सी.एस.बी को अधीक्षक के पासे भेजेंगे और सब कुछ सही पाये जाने पर, अधीक्षक द्वारा एल.ई.ओ (निर्यात करने के लिए आदेश) दिया जाता है ।

All export consignments under CSB-IV and CSB-V shall be subjected to X-Ray screening before export. If the inspector does not find anything suspicious in the shipments the same shall be cleared from X-Ray, unless otherwise selected for physical examination. Shipments selected for physical examination as well as those found suspicious during X-Ray will be forwarded for physical examination. After examination, the Examiner will enter the examination report and forward the CSB to Superintendent and Superintendent will give LEO (Let export order) if otherwise in order.

6.4.2 अधिकारियों द्वारा वास्तिविक परीक्षण के लिए परेषित माल का चयन कई मापदण्ड के आधार पर जैसे वस्तु की प्रकृतिख् वस्तुओं का विवरण, मूल्य, वजन, निर्याता कर्ता का स्तर , निर्यात किये जानेवाले देश आदि के आधार पर किया जाता है।

The selection of consignments for physical examination by the officers would be based on the various parameters such as nature of the goods, description of the goods, value, weight, status of exporter, country of export etc.

6.4.3 बहरहाल, प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क अपनी विवेचानात्मक शक्तियों को प्रयोग करते हुए आकस्मिक जॉच विनिदिष्ट मापदण्ड जैसे वस्तु की प्रकृतिख् वस्तुओं का विवरण, मूल्य, वजन, निर्याता कर्ता का स्तर ,निर्यात किये जानेवाले देश आदि के आधार पर कर सकते हैं।

However, the Principal Commissioner of Customs/Commissioner of Customs can exercise discretion of random examination of goods, on specific parameters such as nature of the goods, description of the goods, value, weight, status of exporter, country of export etc.

6.4.4 उपर्युक्त के अलावा किसी बात को होते हुए भी, विशिष्ट आसूचना के आधार पर या उक्त परेषित माल के संबंध में एक्सरे स्क्रीनिंग करने के दौरान कोई शक आने पर भी सीमा शुल्क द्वारा किसी भी परेषित माल कापरीक्षण(100 % परीक्षण भी) कर सकते हैं।

Notwithstanding anything contained above, any consignment can be examined by Customs (even up to 100% examination), if there is any specific intelligence or there is any doubt during X- ray in respect of the said consignment.

6.5 कोरियर आयात एवं निर्यात (इलेक्ट्रानक धोषणा एवं कार्यवाही) विनियमन, 2010 के प्रपत्र एफ में कोरियर निर्यात बीजक/Courier Export Manifest (CEM) in Form F of the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010: फलाईट सं के अनुसार सी.ई.एम दायर करना विभाजित किया गया है। निर्यात आदेश(एल.ई.ओ) के बाद सी.ई.एम स्वचालित रूप से जेनरेट किया जाता है जिसमें दायर किये गए सी.एस.बी के संबंध में हाउस एयर वे बिल (एच.ए.डबिल्यू.बी) की सूची को कोरियर उपयोगकर्ता देख सकते हैं। कोरियर उपयोग कर्ता को यह विकल्प होगा कि वह जिन अंकित कैरियर/फलाईट द्वारा निर्यात नहीं किये गए निर्यात के संबंध में विशिष्ट एच.ए.डबिल्यू.बी को कारण को रिकार्ड करते हुए हटा सकता है। उसका सत्यापन एवं अद्यतन होने पर कोरियर उपयोगकर्ता सी.ई.एम विवरण को प्रसतुत कर सकता है।

CEM filing is segregated as per flight number. After Let Export Order (LEO) of shipments, CEM is automatically generated in which the list of House Airway Bills (HAWBs) with respect to CSBs filed can be viewed by the courier user. The courier user will have the option to omit specific HAWBs which are not being exported through the mentioned carriers/flights after recording the reasons for the same. Once the same has been verified and updated the CEM details shall be submitted by the Courier User.

7. सी.एस.बीIV एवं सी.एस.बीV के अधीन निहित वस्तुओं से युक्त संदेहात्मक प्रेषण के संबंध में कार्यवाही / PROCEDURE FOR SUSPICIOUS CONSIGNMENTS FOR GOODS COVERED UNDER CSB-IV and CSB-V

सीमा शुल्क निरीक्षक द्वारा लदाडू की एक्सरे स्क्रीनिंग के दौरान , अगर कोई संदेहात्मक प्रेषण पाया गया तो, उसको खोलकर परीक्षण करके संदेह की प्रकृति के संबंध में अपनी टिपप्णी सहित परीक्षण रिपोर्ट अधीक्षक को प्रस्तुत कर सकते हैं । अगर वह संदेहात्मक लदाई बैग मे हो तो , उसको बैग से निकालकर परीक्षण रिपोट प्रत्येक संदेहात्मक लदाई के लिए तैयार कर सकते हैं । नीचे दिये गए अनुसार रिपोर्ट को अधीक्षक को आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है ।

During the X-ray screening of the shipments by the Inspector of Customs, if any shipments are found suspicious, the same shall be open-examined and he shall provide an examination report along with his comments stating the nature of suspicion and shall submit the same to the Superintendent. If the suspicious shipments are contained in bags, the same shall be removed from the bags and an examination report shall be created for each suspicious shipment. The report shall be submitted to the Superintendent for further action as mentioned below.

7.1 निरोध ज्ञापन/ Detention Memo: अगर वह संदेह पुष्टी की गई तो ,अधीक्षक द्वारा निरोध ज्ञापन जारी किया जाता है , और संरक्षक के गोदाम को वस्तुओं प्रेषित किया जाता है । वे दस्तावेज/सूचना कोरियर कंपनी से प्राप्त कर सकता है ।

If the suspicions are confirmed, the Superintendent issues a detention memo and goods move into the warehouse of the custodian. He can seek document/information from the courier company.

7.2 जॉच ज्ञापन/ Query Memo: अधीक्षक इस संबंध में प्रश्न भी उठा सकते हैं, जिसके लिए वे अपने टिप्पणी अंकित करके कोरियर कंपनी से दस्तावेज /सूचना मांग सकते हैं और कौरियर कंपनी प्रश्नों के लिए उत्तर संगत दस्तावेजों के साथ सिस्टम में प्रसतुत कर सकते हैं।

The Superintendent can also raise a query, for which he/she shall enter remarks seeking documents/information from the Courier Company and Courier Company has to submit their replies to the queries along with all relevant documents in the system itself.

- 7.3 यदि, निरीक्षक द्वारा मामला निर्दिष्ट करने के बाद, अधीक्षक लदाई में संदेहात्मक कुछ भी नहीं पाये तो, वे उन वस्तुओं के निर्यात के लिए अनुमोदन करके एल.ई.ओ जारी करेंगे। If, post referral of a case by the Inspector, the Superintendent does not find anything suspicious in the shipment, he shall approve export of the same and will give LEO.
- 8. फलाईट में बदलाव/ Amendment in Flight:एक विशिष्ट फलाईट में जगह न होने के कारण या विलंब के कारण लदाई को लदान बिल में वर्निष्टि फलाईट में भरण नहीं कर पायेंगे । इसके फलस्वरूप लदान बिल में संशोधन करना आवश्यक होगा । इसलिए सिस्टम ऐसे वैशिष्ट्य को प्रदान करना है जिसके तहत कोरियर दायर किये गए बिल में संशोधन कर सकते हैं । इस कारण के लिए, लदान बिल का स्तर दायर या निकासी की गई में होना चाहिए । इस प्रकार संशोधित लदान बिल को शेड अधीक्षक अनुमोदन करना है । गैर अनुमोदित लदान बिल को निर्यात करने के लिए विचार नहीं करना है ।

On account of lack of space in a particular flight or on account of flight delays, it is not possible to load the shipments in the flight that had been specified in the shipping bill. This would necessitate alternations in the shipping bills. The system shall thus

provide a feature for couriers to modify the shipping bills that have been filed. For this purpose, the status of the shipping bill must be either "Filed" or "Cleared". Shipping bills modified in this manner must be approved by the shed superintendent. Unapproved shipments must not be considered for loading for export.

9. प्रेषित जगह को वापस/ **Back to Town:**प्रेषण किये गये जगहों को लदाई को वापस करने के लिए कोरियर लदान बिल को संशोधित करता है और उन लदाइयों को अंकित करता है जो उनके प्रषण किये गए जगहों को वापस करना है और ऐसे अनुरोध के लिए कारण बताता है । प्रेषण जगह को वापस करने के लिए अनुमित उप/सहायक आयुक्त द्वारा दी जा सकती है । पुन: निर्यात के लिए जो लदाई है (स्तर श्रोतया मिस रूटड लदाई) को प्रेषण जगह को भेजने के लिए अनुमित प्रदान नहीं किया जा सकता है ।

For the purpose of sending shipments back to their place of dispatch, the courier amends the shipping bill and indicates the shipments that are to be sent back to town and gives reasons for making such a request. Permission for back to town shall be given by the AC/DC. Shipments meant for re-export (status "Return to Origin" or "Misrouted Shipment") cannot be permitted to be taken "Back to Town".

10. अदावी कार्गी/ Unclaimed cargo:कोरियर आयात एवं निर्यात (इलेक्ट्रानक धोषणा एवं कार्यवाही) विनियमन, 2010 के अनुसार, कोई भी निर्यातीत वस्तु जो सीमा शुल्क परिसर में निर्यात के लिए लाया गया और उसके आगमन के 7 दिनों के अंदर निर्यात नहीं किया गया, या उचित अधिकारी यह विचार करते हैं कि, संबंधित प्राधिकृत कोरियर एवं घोषित निर्यातकर्ता के नियंत्रण के परे परिस्थित या कारणवश और उसके कारण समय सीमा के अनुमति देने पर भी निर्यात नहीं किये वस्तुओं को उचित अधिकारी निरोध कर सकते हैं, और संबंधित प्राधिकृत कोरियर एवं घोषित निर्यातकर्ता को ऐसे वस्तुओं के भांडागृहण एवं व्यवहार करने के लिए प्रभार्य भुगतान करने के लिए जोटीस जारी करके, उसके संरक्षक द्वारा बेच सकते हैं या निपटा सकते हैं।

As per the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010, any export goods that have been brought into customs area for export purpose and have not been exported within seven days of arrival of such goods into such area or within such extended period as permitted by the proper officer in case of delay due to such reasons which the proper officer considers to be beyond the control of the concerned Authorized Courier and declared exporter, may be detained by the proper officer and sold or disposed by the person having custody thereof, after issuing notice to the concerned Authorized Courier and declared exporter provided the charges payable, for storage and handling of such goods are paid by such Authorized Courier.

11. अब ,बेंगल्र कोरियर टर्मिनल में परिनियोजन के पहले चरण में, कोरियर लदाई बिलाए (सी.एस.बी IV) एवं कोरियर लदाई बिलए (सी.एस.बी V) के तहत आनेवाले निर्यात की निकासी दिनांक 11.5.2020 से प्रायोगिक आधार पर किया जाएगा । शुरू में, इस प्रायोगिक कार्य में कुछ चयनित फलाईट ही शामिल किया जाएगा जो अलग रूप से अधिस्चित किया जाएगा और शेष लदाई की मैनुअल निकासी प्रचलित रहेगा ।

Now in the first phase of deployment in the Bengaluru Courier Terminal, clearance of export covered under Courier Shipping Bill IV (CSB-IV) and Courier Shipping Bill V (CSB-V) will be undertaken on a pilot basis with effect from 11.05.2020 In the initial stages, the pilot run would include only selected flights which shall be notified separately while the remaining shipments would continue to be cleared manually.

12.अधिकारियों के लिए इस लोक सूचना में सूचित निर्णयों के आधार पर ले**ने वाली कार्रवाई** के लिए यह स्थायी आदेश के रूप में लागू होगा ।

Action to be taken in terms of decisions conveyed in this Public Notice should be considered as Standing Order for the purpose of Officers.

13. उपर्युक्त सभी संबंधित को सूचित किया जाता है। इस संबंध कोई भी तकलीफ श्री नितिन कृष्णा शेणाय, पी., उप आयुक्त, (कोरियर) को उनके दूर भाषा सं 080-667856602/080-66785640, ई मेल पता - courier-bacc@gov.in. में सूचित कर सकते हैं।

The above is brought to the notice of all the concerned. Difficulties, if any, may be brought to the notice of Shri. NithinkrishnaShenoy P, Deputy Commissioner (Courier), 080-667856602/080-66785640-E-mail- courier-bacc@gov.in.

312)145 11/05/2020 (अशोक /ASHOK)

प्रधान आयुक्त / PRINCIPAL COMMISSIONER

फाईल सं C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH द्वारा जारी किया जाता है / Issued from File C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH प्रतिप्रस्तुत /Copy submitted to:

मुख्यआयुक्त, सीमाशुल्कबेंगलूरु, बेंगलूरुअंचल, केंद्रीयराजस्वभवन, बेंगलूरु / The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building, Bengaluru प्रतिप्रेषित/Copy to::

- 1) सभीअपर/ संयुक्त/उप/सहायकआयुक्तएयरपोर्टएवंएसीसीआयुक्तालय/ All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru
- 2) फेडरेशनआफकर्नाटका, चेंबरऑफकामर्स, सं9996, केंपेगौडारोड, गाँधीनगर, बेंगलूरु Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.9996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru

- 3.बेंगलूरुसीमाशुल्कबोकार्सएजेंटसंगटन, सं71., कार्गीविल्लेज, बी-ब्लाक, बेंगलूरुअंतर्राष्ट्रीयएयरपोर्ट,देवनहल्ली, बेंगलूरु / Bangalore 4)All Airlines through Association.
- 4. सभी एयर लाइंस उनके संगठन द्वारा/ All Airlines through Association 5)फेडरेशनआफइंडियनएक्सपोर्टआरर्गनाईसेशन, (एफ.आई.एफ.ओ,) पहलातल, वी.आई.टी.सी, भवन, कस्तूरिबारोड, बेंगलूरु।Federation of Indian Export Organisation (FIEO),IstFloor,VITC Building, Kasturba Road, Bengaluru 6)सभी संरक्षकों/All Custodians.
 - 7.बेंगलूरुसीमाशुल्कवेबसाईट /Bengaluru Customs Website
 - 8)सूचनापट्ट /Notice Board.
- 9) बेंगलूरुसेप्रचलितसभीकोरियरएजेन्सी /All Courier Agencies Operating at Bengaluru (कोरियरसंगठ्नद्वारा/ through Courier Association)
 - 3) मास्टर फाईल/ Master File

11-

FORM - H

[See regulation 6(3)]

Courier Shipping Bill - IV (CSB - IV) for Goods

(Electronic Filing)

S.NO.	Description	Details		
(1)	(2)	(3)		
1.	Courier Registration Number			
2.	Name and address of the Authorized Courier			
3.	Name of the airlines			
4.	Airport of departure			
5.	Flight No.			
6.	Date of departure			
7.	Time of departure			
8.	Airport of destination			
9.	Airway Bill-wise information:			
	(a) MAWB No.			
	(b) No. of HAWBs included in this MAWB			
	(c) Number of bags / packages / pieces / ULD			
10.	AD Code			

11.	Shipment / consignment-wise information:							
HAWB No.		GST Invoice no. and date	Invoice no. and date (Export Invoice)	Value				
(1)		(2)	(3)	(4)				
Description		Name and address of the consignor	Name and address of the consignee	Weight (In KGs)				
(5)		(6)	(7)	(8)				
Whether supply for export is on payment of IGST or not. Please indicate		Whether supply is against Bond or UT	Total IGST paid, if any	GSTIN				
(9)		(10)	(11)	(12)				

DECLARATION

I/We hereby declare that I/we have obtained the authorization from each of the consignors mentioned above to act as an agent for the clearance of the goods described above.

-12-

I/We hereby declare that the goods for export as per this Shipping Bill include only bona fide commercial samples, prototypes of goods and bona fide gifts of articles for personal use within the value limits prescribed in the relevant exemption Notification and which are for the time being not subject to any prohibition or restriction on their export from India and no transfer of foreign exchange is involved.

I/We enclose herewith _____ (number) of airway bills and _____ (number) of invoices for the aforesaid consignments with this shipping bills.

I/We hereby declare that the contents of this shipping bill are true and correct in every respect and are in accordance with the Airway Bills, the invoices and other documents attached herewith.

Date:

Place:

Signature and name of the Authorised Courier with stamp of Authorised Courier

es ·	A Name and	Name of	Form Courier Shipp (See regula	ing Bill –V			
	Address of the Authorised Courier	Customs Station	Courier Registration No.	Port of loading	Airline Name and Flight Number	Customs Shipping Bill Number and Date	AD Code
	В	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	. (7)

No	ier AW B No.	of pack age	ared Wei ght	Dest inati on	Consi gnor/ Expor ter Name and Addr ess	IEC No. of the Exp orte r	Ter ms of inv oic e	l	etion of g	oods		Invoid Valu (FOI	e	Con sign ee's Nam e and Add ress	Wheth er export using e- comme rce Yes/No	Wheth er under MEIS schem e Y/N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)			(10)	(11)	(12)	(13)
								S. No	De scri pti on	Qty	HS Cod e	Cu rre ncy	IN R			

C

GSTIN	GST Invoice no. and date (GSTIN)	Invoice no. and date (other than GST Invoice)	Whether Supply for export is on payment of IGST or not. Pl indicate	Whether against Bond or UT	Total IGST paid, if arry
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

declaration:

- (i) I/We hereby declare that the Exporter mentioned above has authorized us for booking the shipment under the Courier Airway bill and act as an agent for clearance and export of the goods described above.
- (ii) I/We hereby declare that on the basis of declaration of the exporter, I/We abide by the declaration in CSB-V, above.

Signature of the Authorized person of the Authorized Courier with stamp of Authorized Courier

Let Export Officer of Customs (Stamp with Name and Designation)".